



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026

पौष 12, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 20/छ:-पु0-9-2025-1807233

लखनऊ, 2 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प0आ0-15

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन् 1988) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी सरकारी अधिसूचना के क्रम में राज्यपाल, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित अपर जिला न्यायाधीश को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों, जिनमें एतद्पश्चात भारत सरकार के विशेष पुलिस अधिष्ठान द्वारा उनके न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किये जायें, के विचारण के लिये उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित न्यायालय के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं और यह निदेश देते हैं कि उक्त क्षेत्र के भीतर उद्भूत होने वाले ऐसे अन्य मामलों का, जिनमें उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप-पत्र पहले ही दाखिल कर दिये गये हों और उक्त क्षेत्र के भीतर उद्भूत होने वाले उक्त विशेष पुलिस अधिष्ठान से सम्बंधित ऐसे अन्य मामलों का भी, जो ऐसे किसी विशेष न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन हों, विचारण और निस्तारण भी उनके द्वारा किया जायेगा और उनका न्यायालय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध के रूप में अभिहित किया जायेगा, जिसका मुख्यालय बरेली होगा।

राज्यपाल, अग्रतर नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, में कार्यरत अधिकारी को, समस्त और साथ ही साथ ऐसे मामलों, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा उल्लिखित अधिकारिता न्यायालय के लिए भविष्य में दायर किये जा सकते हैं, का निस्तारण करने के लिये तत्काल प्रभाव से सशक्त करते हैं और भविष्य में, उक्त विशेष न्यायालय के पदधारी द्वारा प्रभार का त्याग किये जाने पर पद में उनके उत्तरवर्ती समस्त और साथ ही साथ ऐसे मामलों जो, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 यथा उल्लिखित अधिकारिता न्यायालय के लिए भविष्य में दायर किये जा सकते हैं, का विचारण और निस्तारण करेंगे।

अनुसूची

क्र०सं०	जिला का नाम	संस्तुत अधिकारी का नाम	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय हेतु संस्तुत
1	बरेली	1- श्री अविनाश कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली	विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49, सन् 1988)

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 20/VI-P-9-2025-1807233, dated January 2, 2026:

No. 20/VI-P-9-2025-1807233

Dated Lucknow, January 2, 2026

IN exercise of the powers under sub-section (1) of Section 3 and sub-section (2) of Section 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act no. 49 of 1988) (hereinafter referred to as the "said Act") read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in continuation of the Government notification issued in this behalf, the Governor is pleased to appoint, from the date of his taking over charge, the Additional District Judge mentioned in Column-3 of the Schedule below as Special Judge for the Court mentioned in Column-4 of the said Schedule for trial of such offences as specified in sub-section (1) of Section 3 of the said Act in which hereinafter charge sheets are filed in his Court by Special Police Establishment of the Government of India, and to direct that such other cases arising within the said areas in which charge sheets have already been filed before any other Special Judge appointed under the said Act and also such other cases arising within the said area relating to the said Special Police Establishment which are pending before such a Special Judge, shall also be tried and disposed of by him and his Court shall be designated as Special Court, Anti Corruption with headquarters at Bareilly.

The Governor is further pleased to empower the officer mentioned in Column-3 of the Schedule below, holding the Special Court, Anti Corruption to dispose of all the pending cases as well as cases which may be filed in future for the Court of jurisdiction as mentioned in Column-4 of the said Schedule with immediate effect and in future, upon relinquishing the charge by the incumbent of the said Special

Court, his successor in office will try and dispose of all pending cases all as well as cases which may be filed in future for the Court of jurisdiction as mentioned in Column-4 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. no.	Name of District	Name of the recommended Officers	Recommended for Special Court of Prevention of Corruption Act, 1988
1	Bareilly	Shri Avinash Kumar Singh Additional District and Sessions Judge, Bareilly	Special Judge, Court no.1, Prevention of Corruption Act, 1988 (Act no. 49 of 1988)

By order,
SANJAY PRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 355 राजपत्र-2026-(1053)-599+10=609 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।